

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



सत्यमेव जयते

यह चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र
वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 के
अधीन जारी किया गया है और 1958 की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
कन्वेंशन संख्या 108 के अनुरूप है।

This Continuous Discharge Certificate

is issued under Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate)

Rules 2017 and is in conformity with the International

Labour Organisation Convention No. 108 of 1958.

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर /

Signature of Issuing authority

नाम / Name

पदाभिधान / Designation

मुद्रा / Seal



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सीफायरर का पूरा नाम / Name of Seafarer in full
GHARAT SAFAL PRASHANT

सी.डी.सी. संख्या / CDC No.

MUM 462213

शिपिंग मास्टर कार्यालय / Shipping Master Office

MUMBAI

जारी करने की तिथि / Date of issue

21/04/2022

समाप्ति की तिथि / Date of expiry

20/04/2032

जन्मतिथि / Date of birth

08/04/2002

जन्मस्थान / Place of birth

BOISAR, MAHARASHTRA

राष्ट्रियता / Nationality

Indian

लिंग / Sex

M

उँचाई (कद) से.मी. में / Height in Cms :

165

आंखों का / बालों का रंग **black**

Black

Colour of eyes / Hair :

21GN1111


इन्डोस सं. / INDoS No. :

पहचान चिन्ह / **scar on the left -**

Identification mark

side of my face on forehead

सीफायरर के हस्ताक्षर
Seafarer's Signature



समुद्री यात्रा के व्यंज /

क्रम सं. Sr. No.	पोत का नाम, शासकीय संख्या, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) संख्या, रजिस्ट्री का पत्तन, कि.वाट Name of Ship, Official No., International Maritime Organisation (IMO) No., Port of Registry, Kw.	नियुक्ति की तारीख और स्थान * Date and place of Engagement	उन्मोचन की तारीख और स्थान * Date and place of Discharge
(1)	MV. DARYA SHAAN FOR MUMBAI CALL SIGN : VTAI IMO NO : 9467897 GRT : 16102 NRT : 5138 EHP : 5882 KW	11/01/23 Kochi	21-06-23 Mumbai
(2)	MT. SEAWAYS LILY FLAG : HKG IMO : 9354894 GRT : 29305 NRT : 13134 ENG POWER : 9480KW	07-AUG-2023 ZHOUZHAN CHINA	16-OCT-2023 Esmeraldas ECUADOR

* इन स्तंभों को नियुक्ति एवं उन्मोचन के समय भरा जाए।
* These columns are to be filled in at the time of Engagement & Discharge.

Details of Voyages

सीफायर का रैंक Rank of Seafarer	विदेशगामी यात्राओं/ निकट तटीय यात्रा/ भारतीय तट का वर्णन Description of Voyages Near Coastal Voyage / Indian Coastal	मुद्रा सहित मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Master with seal
DRIVER DRIVER	M.V. DARYA SHAAN F.B	(2) MASTER
DTSM	F.G.	(2) MASTER

† इंजीनियर की पुस्तिका में किलोवाट दर्शाएं। रेडियो अधिकारी की पुस्तिका में वाणिज्य पोत परिवहन (संकट एवं सुरक्षा रेडियो संचार) नियम, 1995 के अनुसार पोत का सकल टनभार और बेतार श्रेणी दर्शाएं।
† In Engineer's Book insert Kilo Watts. In Radio Officer's Book insert gross tonnage and wireless classification of Ship as per Merchant Shipping (Distress and Safety Radio Communication) Rules, 1995.



कार्यालय उपयोग के लिए स्थान
Space for official use

संघर्ष निवारण प्रमाणपत्र
शारदा भण्डार



CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE
GOVERNMENT OF INDIA



सीफायर का स्थायी पता
PERMANENT ADDRESS OF SEAFARER
310, AKKARPATI, POPHRAN

DAHISAR

PALGHAR, Maharashtra, 401502

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)
02525625648

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)
safalgharat0804@gmail.com

सीफायर का निकट सम्बन्धी
NEXT OF KIN OF SEAFARER

PRASHANT BHAGWAN GHARAT

SON

नाम / Name
सम्बन्ध / Relationship

पता / Address
AKKARPATI, POPHRAN, DAHISAR

PALGHAR Maharashtra
401502

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)
02525625648

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)
safalgharat0804@gmail.com

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE
GOVERNMENT OF INDIA

सीफेयरर्स को सूचना

- (1) यदि सीफेयरर पलायन कर जाता है या कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी पुस्तिका उस पत्तन के नाविक पाल या काउंसल के पास मास्टर द्वारा जमा करा दी जाएगी जिस पत्तन से सीफेयरर ने पोत का त्याग किया था। नाविक पाल या काउंसल इस पुस्तिका को संबंधित नाविक पाल, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई को विनिर्दिष्ट पते पर भेजे।
- (2) यदि यह प्रमाणपत्र विकृत हो जाता है या फट जाता है, पुरी तरह पंर जाता है या खो जाता है तो नाविक पाल, पुनः आवेदन करने पर, दूसरी प्रति जारी करने की व्यवस्था करेगा।
- (3) सीफेयरर्स को चेतावनी दी जाती है की वे इस प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियों में स्वतः कोई परिवर्तन न करें अन्यथा उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- (4) सीफेयरर्स को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दस वर्ष के बाद च.उ.प्र. को पुनः विधिमान्य करा लिया जाए। ऐसा करते समय नया फोटो लगाया जाए।
- (5) यह सुनिश्चित किया जाए कि च.उ.प्र. में दिए गये सभी विवरण सही हैं। यदि उनमें कोई विसंगति पाई जाए तो उसे ठीक करने के लिए इसकी प्रार्थि के तीस दिनों के भीतर जारी करने वाले कार्यालय को भेजा जाए। उक्त समय-सीमा के बाद, उसको ठीक करने के बारे में प्रार्थि किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की वैधता अवाधि काररनामा के दौरान समाप्त होती है तो इसे काररनामा समाप्त होने तक वैध माना जायेगा।

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE
द्विपणीयां
GOVERNMENT OF INDIA

सीफेयरर को दिए गए किसी अवार्ड या प्रशस्ति के प्रविष्टि के सामने नाविक पाल के हस्ताक्षर होंगे और उस पर मुहर लगाकर तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है तो इसे संबंधित नाविक पाल, सरकारी नौबहन कार्यालय को सौंप दिया जाए।

NOTICE TO SEAFARERS

- (1) If the seafarer deserts or fails to join, his book will be deposited by the master with the shipping master or Consul of the port where he left the ship, who shall forward it to the concerned Shipping Master, Mumbai / Kolkata / Chennai at the specified address.
- (2) If this certificate becomes defaced or torn or filled up or if it gets lost the shipping master will, on application, arrange for the issue of a duplicate.
- (3) Seafarers are warned not to correct, alter or in any way tamper with the entries on this certificate as they are liable to be prosecuted if they do so.
- (4) Seafarers are informed that the C.D.Cs should be revalidated after every ten years and an additional recent photograph at the time of revalidation be affixed.
- (5) It may be ensured that the particulars mentioned in the C.D.C. are correct and if any discrepancies are noted, the same are to be intimated to the issuing office along with the C.D.C. for correction within 30 days from the date of receipt. Request for any corrections shall not be entertained after this deadline.
- (6) If the period of validity of C.D.C. expires during the Article, It shall be continued to be valid till the end of the Article.

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE
NOTE
GOVERNMENT OF INDIA

Record of any award or commendation received by the seafarer, the entry shall be signed by the Shipping Master, dated and stamped.

If this Certificate comes into possession of any person to whom does not belong, it should be handed over to the concerned Shipping Masters, Government Shipping Office.